राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक,प्रधान कार्यालय,जोधपुर

परिपत्र संख्या / 169 / पेंशन / 76 / 2019–20 दिनांक 08.11.2019

राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 2018 का क्रियान्वयन – पेंशनधारक एवं कुटुम्ब पेंशनधारक का जीवन प्रमाण पत्र

विषयान्तर्गत बैंक द्वारा जारी परिपत्र संख्या : 176 पेंशन/ 61/2018–19 दिनांक 01.01.2019 का एवं परिपत्र संख्या : 85 कार्मिक/ 37/2019–20 दिनांक 01.01.2019 का अवलोकन करें , जिसके द्वारा कार्मिकों के सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाले परिलाभों के संदर्भ में आवश्यक प्रपत्र प्रस्तुत करने दिशा निर्देश एवं प्रपत्रों के प्रारूप संलग्न किये गये थे। इसी क्रम में लेख हैं कि :–

1. सभी पेंशनधारक (सेवानिवृत्त कार्मिकों) एवं मृत कार्मिकों के कुटुम्ब पेंशनधारक को प्रतिवर्ष माह नवम्बर में जीवन प्रमाण पत्र प्रेषित किया जाना आवश्यक हैं । सभी पेंशनधारक (सेवानिवृत्त कार्मिकों) एवं मृत कार्मिकों के कुटुम्ब पेंशनधारक पेंशन भुगतान शाखा के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र पूर्व परिपत्र के साथ संलग्न (Pension Format 6) प्रारूप मे दो प्रतियों में अद्यतन कर दिनांक 15.11.2019 तक सुपुर्द करेंगे ।
2. भविष्य निधि कार्यालय द्वारा ईपीएफ पेंशनधारकों की पेंशन में संशोधन किया गया हैं , अतः पेंशनधारक (सेवानिवृत्त कार्मिक) एवं मृत कार्मिकों के कुटुम्ब पेंशनधारक को भविष्य निधि कार्यालय से प्राप्त होने वाली ईपीएफ पेंशन राशि जिस खाते में जमा हो रही हैं , उस खाते की प्रति प्राप्त कर (जिसमे ईपीएफ पेंशन राशि 1 अप्रेल,2019 से जमा की गई हो) हमें प्रेषित करें ।
3. पेंशनधारक (सेवानिवृत कार्मिक) स्वयं के तथा पति/पत्नी (Spouse) के आधार कार्ड एवं पेन कार्ड की प्रमाणित छाया प्रति भी प्रेषित करे । आधार कार्ड एवं पेन कार्ड की प्रति पर पेंशन धारक बैंक द्वारा आवंटित PPO No. का उल्लेख अवश्य करें ।

त्वरित कार्यवाही हेतु जीवन प्रमाण पत्र (Pension Format 6) का प्रारूप पुनः संलग्न किया जा रहा हैं ।

सभी शाखा प्रबन्धकों को सूचित किया जाता हैं कि उनकी शाखा में जिन पेंशनधारकों (सेवानिवृत कार्मिकों) एवं मृत कार्मिकों के कुटुम्ब पेंशनधारकों के खाते हैं, उनके जीवन प्रमाण पत्र व अन्य प्रपत्र दिनांक 20.11.2019 तक प्रधान कार्यालय पेंशन प्रकोष्ठ को प्रेषित करें । जीवन प्रमाण पत्र की एक प्रति शाखा अभिलेख में सुरक्षित रखें ।

समस्त शाखा प्रबन्धकों /क्षेत्रीय प्रबन्धकों/विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया जाता हैं कि कृपया इस परिपत्र की विषय वस्तु शाखाओं/कार्यालयों में कार्यरत समस्त कार्मिको के संज्ञान में लाया जाना सुनिश्चित करें । परिपत्र की एक प्रति शाखा/कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगावें ।

इस परिपत्र की प्रति बैंक की वेबसाइट www.rmgb.in पर अपलोड की जा रही हैं । तद्नुसार पेंशनधारको/ कुटुम्ब पेंशनधारकों को अवगत करावें ।

महाप्रबन्धक

संलग्न : यथोक्त

ANX - I

FORMAT - 6

.... STAFF PENSION* (GENERAL PENSION)		Customer ID	
.... FAMILY PENSION*		S B A/C No	

(*Please ✓ as applicable)

LIFE CERTIFICATE

(To be submitted by the Pensioner once in a year in November)

Certified that I have seen the pensioner .... (name)

....

..............(address) holder of PPO No.................................... and that he /she is alive on this day. His / Her AADHAAR No ....

(Signature of the Pensioner/Family Pensioner with date)

(Signature with office seal)

Date:........................ Name:...

Place:.................... Designation:......................Branch: ... .